<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देवास (मध्यप्रदेश)</u>

(समक्ष–अजय प्रकाश मिश्र)

Registration No. CRA/84/2026
Filing No.3441/2026
CNR No. MP 4101-003965-2026
Filing Date : 06-05-2026

शेरू उर्फ शब्बीर आत्मज खलील खां,
उम्र 44 वर्ष, निवासी–सिद्धार्थ नगर,
ईटावा, देवास म.प्र. –– **<u>अपीलार्थी / अभियुक्त</u>**

<u>विरूद्ध</u>

म.प्र. राज्य सिविल लाईन थाना, देवास –– **<u>प्रत्यर्थी / राज्य</u>**

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास, जिला देवास (म.प्र.) श्री भारत सिंह कनेल, के न्यायालय के दांडिक प्रकरण (Registration No. RCT/324/2021, Filling No.1284/2021, CNR No MP4101-001447-2021 & Filling Date 12/02/2021) म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना सिविल लाईन, देवास विरूद्ध शेरू उर्फ शब्बीर {म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षीकेन्द्र सिविल लाईन, देवास, जिला देवास के अपराध क्रमांक 44 / 2021, अंतर्गत धारा 34(2) म.प्र.आबकारी अधिनियम} में घोषित निर्णय दिनांक 13 / 04 / 2026 से उदभूत दांडिक अपील।

अपीलार्थी द्वारा :– श्री त्रिलोक पाटीदार, लीगल एड डिफेंस काउंसिल।
प्रत्यर्थी द्वारा :– श्रीमती जयन्ती पौराणिक, अपर लोक अभियोजक।

// <u>नि र्ण य</u> //

(आज दिनांक 23 / 05 / 2026 को उद्घोषित)

1. अपीलार्थी / अभियुक्त की ओर से यह दाण्डिक अपील धारा 415

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत, श्री भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास, जिला देवास (म.प्र.) के न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक 324/2021 (म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षीकेन्द्र सिविल लाईन, देवास विरूद्ध शेरू उर्फ शब्बीर) में पारित निर्णय दिनांक 13/04/2026 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 34(2) म.प्र.आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषी पाकर उसे एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 25,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया और अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में छः माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताये जाने का आदेश दिया है।

2. विचारण न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग पत्र के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17/01/2021 को पुलिस थाना सिविल लाईन, देवास में गौरव नगावत, उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उन्हे उक्त दिनांक को रात्रि गस्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सिद्धार्थ नगर निवासी शेरू खान उसके घर के बाहर प्लास्टिक की केन में शराब लेकर कहीं जाने के लिए बैठा है। सूचना पर विश्वास कर थाने से आर. धर्मवीर, आर. नवीन पटेल, आर. रवि पटेल को से सूचना देकर तलब किया तथा आर.के. होटल के सामने से राहगीर पंचान सोनू एवं विकास को तलब कर फोर्स एवं पंचान को सूचना से अवगत कराकर बाद हमराह लेकर सिद्धार्थ नगर इटावा पहुॅचा, जहां पर एक व्यक्ति घर के बाहर ओटले पर बैठा हुआ था, जिसके पास में दो नीले रंग की प्लास्टिक की केन 35-35 लीटर वाली रखी थी। उक्त व्यक्ति से उक्त पंचानों के समक्ष उसका नाम पता पूछे जाने शेरू उर्फ शब्बीर खान पिता खलील खां, उम्र 45 साल, निवासी सिद्धार्थ नगर इटावा, देवास का बताया तथा उसके कब्जे में रखी दोनों नीले रंग की केनों को जिन पर काले रंग का ढक्कन लगे थे, को खोलकर पंचानों एवं फोर्स को सुंघाकर चेक करते कच्ची हाथ भट्टी की महुआ की शराब होना बताया। उक्त व्यक्ति से शराब उसके कब्जे में रखने के वैध लायसेंस अनुमति के संबंध में पूछने पर नहीं होना बताया। शेरू उर्फ

शब्बीर से पंचानों के समक्ष उक्त शराब 35–35 लीटर की दो केन प्लास्टिक की जिसमें 35–35 लीटर शराब कीमती 7000 रूपये की विधिवत् जप्त की तथा दोनों केनों में से जांच हेतु सेम्पल एक–एक लीटर शराब प्लास्टिक की बोतल में लेकर निकाले जाकर मौके पर ही दोनों केनों एवं दोनों सेम्पल के लिए निकाली गई प्लास्टिक की बोतलों को सीलबंद कर जप्ती चिट से चस्पा किया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। अभियुक्त को मय शराब के वापस थाना सिविल लाईन देवास लाकर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रं. 44/2021 पर धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत लेखबद्ध किया। अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त/अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपराध करना अस्वीकार किया और धारा 313 दं. प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त ने झूठा प्रकरण बनाये जाने का बचाव लिया है।

4. विचारण न्यायालय ने प्रकरण में आयी हुई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्त को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषी पाकर उसे उपरोक्तानुसार दण्डित किया, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय विधि एवं तथ्यों के पूर्णतः प्रतिकूल है। विचारण न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि प्रकरण के स्वतंत्र साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि अनुसंधान अधिकारी/जप्तीकर्ता अधिकारी द्वारा प्रकरण में जप्त केनों में तथाकथित द्रव्य की कोई माप नहीं

की गई थी, जबकि धारा 34 (2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के आरोपों को सिद्ध करने के लिए शराब की मात्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पुलिस द्वारा घटना स्थल के आस–पास के किसी व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है। पुलिस द्वारा कथित बरामदगी के पूर्व अपनी अथवा अपने वाहन की कोई जामा तलाशी अभियुक्त को नहीं दी गई। जप्तीकर्ता अधिकारी ने न्यायालय में अपने परीक्षण के समय जो मुद्देमाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना बताया है, उसमें केवल 35–35 लीटर की क्षमता वाले केन एवं एक–एक लीटर की क्षमता वाली बोतल प्रस्तुत करना बताया है। उसमें शराब होने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है और न ही न्यायालय ने साक्षी के परीक्षण के दौरान उन केनों एवं बोतलों में कोई शराब होने का उल्लेख किया। विचारण न्यायालय ने केवल पुलिस के अविश्वसनीय कथनों पर विश्वास कर अभियुक्त को धारा 34 (2) म.प्र.आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध कर एवं दंडित कर गम्भीर त्रुटि की है, इसलिए अपील स्वीकार कर अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5. उपरोक्त के विपरीत प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीमती जयन्ती पौराणिक ने अपील के ज्ञापन में उठाये गये आधारों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए यह तर्क किया है कि अभियोजन साक्षियों के कथनों में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है। जिन साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है, उन्हें अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर उनके कथन पर अविश्वास व्यक्त किया है। विचारण न्यायालय में अभियोजन द्वारा घटना को संदेह से परे सिद्ध किया गया है। प्रकरण में कोई ऐसी परिस्थिति मौजूद नहीं है, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निष्कर्ष एवं दंडाज्ञा में कोई हस्तक्षेप किया जा सके। इसलिए अपील निरस्त किये जाने का विनय किया गया है।

6. उभयपक्ष की ओर से उठाये गये प्रति विरोधी तथ्यों के संदर्भ में इस अपील के निराकरण के लिए यह विचारणीय प्रश्न है कि :–

''क्या विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 34(2) म.प्र.आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध कर एवं उसे दंडित करके विधि एवं तथ्यों के संदर्भ में ऐसी त्रुटि की है, जिसके कारण आलोच्य दोषसिद्धि एवं दण्डाज्ञा स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है''?

7. अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष समर्थन में कुल सात साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जिनमें विकास अ.सा.1, सोनू अ.सा.2, धर्मवीर सिंह अ.सा.3, राकेश बाबू शर्मा अ.सा.4, नवीन देथलिया अ.सा.5, गौरव नगावत अ.सा.6 एवं राजकुमारी मण्डलोई अ.सा.7 हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्र.पी.1 लगायत प्र.पी.13 के दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गए हैं, जबकि अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में कोई मौखिक अथ्वा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

—:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::—

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 34 (2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के आरोप को प्रमाणित करने हेतु जिन दो स्वतंत्र साक्षियों विकास अ.सा.1 एवं सोनू अ.सा.2 का परीक्षण करवाया गया है, उन्होंने अभियुक्त को नहीं पहचानना और घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया है। यद्यपि दोनों साक्षियों ने प्र.पी—1 के जप्ती पंचनामा एवं प्र.पी—2 के गिरफ्तारी पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है, परन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा दोनों साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर उन पर अविश्वास किया गया है। प्रतिपरीक्षण में भी उक्त दोनों साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति मे विचारण न्यायालय ने उक्त दोनों साक्षियों के कथनों पर अभियोजन के पक्ष अथवा विपक्ष में विश्वास न कर कोई त्रुटि नहीं की है।

9. जहां तक प्रकरण के मुख्य साक्षी गौरव नगावत अ.सा.6 का प्रश्न है, उक्त साक्षी ने यह बताया है कि वह दिनांक 17/01/2021 को पुलिस थाना सिविल लाईन देवास में उप–निरीक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को वह थाना मोबाईल व आरक्षक 839 रोहित के साथ में थाना क्षेत्र में रात्रि गस्त हेतु रवाना हुआ था और इस संबंध में प्र.पी–7 का रवानगी रोजनामचा सान्हा भी दर्ज किया था। गस्त के दौरान उसे मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिद्धार्थ नगर निवासी शेरू खां उसके घर के बाहर प्लास्टिक की केन में शराब लेकर कहीं जाने के लिए बैठा है। उसने यह भी बताया है कि उक्त सूचना पर विश्वास करते हुए, वह आरक्षक 804 धर्मवीर, आरक्षक 349 नवीन पटेल एवं आरक्षक रवि पटेल को वायरलेस से सूचना देकर आर. के. होटल के सामने तलब किया और मौके पर मिले राहगीर पंचान सोनू खान और विकास जायसवाल को सूचना से अवगत कराते हुए उन्हें भी कार्यवाही में शामिल होने के लिए सहमत किया। साक्षी ने यह भी बताया है कि वह शासकीय वाहन से हमराह फोर्स तथा राहगिर के साथ मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुंचा तो एक व्यक्ति घर के बाहर ओटले पर बैठा हुआ था, जिसके पास नीले रंग की 2 प्लास्टिक की केन जो 35–35 लीटर क्षमता वाली थी, रखी थी। उस व्यक्ति से अपना नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम शेरू उर्फ शब्बीर खान पिता खलील खान, उम्र 45 साल, निवासी सिद्धार्थ नगर ईटावा होना बताया।

10. साक्षी गौरव नगावत ने यह भी बताया है कि उसने अभियुक्त के पास रखी प्लास्टिक की दोनों केन खोलकर पंचान एवं फोर्स को सुंघाकर चैक किया तो दोनों केनों में हाथ भट्टी की महुआ कच्ची शराब होना पायी गई और अभियुक्त से लायसेंस के संबंध में पूछताछ किये जाने पर उसके पास कोई लायसेंस नहीं होना पाया। तत्पश्चात् पंचों के समक्ष 35–35 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब को अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त कर प्र.पी–1 का जप्ती पंचनामा तैयार किया गया और मौके पर ही दोनों केनों में से एक–एक लीटर शराब जांच हेतु सेम्पल के लिए निकाली गई। उसने यह भी

बताया है कि मौके पर ही समक्ष पंचान उक्त केनों तथा निकाले गये जांच सेम्पलों पर जप्ती चिट चस्पा कर थाने की नमूना सील से सीलबंद किया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा अभियुक्त एवं हमराह फोर्स तथा मुद्देमाल सहित थाने वापस आकर जप्तशुदा संपत्ति को मालखाना एच. सी.एम. के सुपुर्द किया। उसने मौके पर की गई कार्यवाही का इंद्राज प्र. पी–10 के रोजनामचा सान्हा में लेखबद्ध करना एवं अभियुक्त के विरूद्ध प्र. पी–11 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना तथा उसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया।

11. साक्षी गौरव नगावत के उपरोक्त कथनों का समर्थन प्रधान आरक्षक धर्मवीर सिंह अ.सा.3 एवं नवीन देथलिया अ.सा.5 ने भी किया है।

12. अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से यह तर्क किया गया है कि साक्षी धर्मवीर सिंह एवं गौरव नगावत ने अपने कथनों में बताया है कि जब वे अभियुक्त के घर के सामने पहुंचे तो अभियुक्त ओटले पर बैठा हुआ था और उसके पास में 35–35 लीटर की केन रखी हुई थी तथा पूछने पर अपना नाम पता बताया था, जबकि अन्य साक्षी नवीन देथलिया अ.सा.5 ने इसके विपरीत कथन करते हुए बताया है कि जब वे अभियुक्त के घर के पास पहुंचे तो अभियुक्त भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे सब लोगों ने मिलकर पकड़ा था। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर पुलिस साक्षियों के कथनों में ही विरोधाभास है।

13. उपरोक्त किसी भी पुलिस साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया कि घटना स्थल पर बरामदशुदा केनों में रखे द्रव्य का किसी मापक से उसका वजन मापा गया था। साक्षी गौरव नगावत ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि सामान्यतः बाजार में 35–35 लीटर के ही केन मिलते हैं और उन केनों में द्रव्य लगभग पुरा भरा हुआ था और इसी आधार पर यह पाया गया था कि उनमें 35–35 लीटर शराब भरी थी। निश्चित् रूप से ऐसा नहीं माना जा सकता है कि बाजार में जो प्लास्टिक के केन मिलते हैं वे 35

लीटर के ही होते हैं। ऐसी स्थिति में, जहां शराब की मात्रा के कारण अपराध की गम्भीरता बढ़ जाती हो, वहां अनुसंधानकर्ता अधिकारी/जप्तीकर्ता साक्षी का यह दायित्व होता है कि वह मौके पर अभियुक्त के कब्जे से पाए गए द्रव्य के वजन का माप करे। इस प्रकरण में उक्त वजन/मात्रा का माप नहीं किये जाने के कारण अभियोजन की कहानी संदिग्ध हो जाती है।

14. साक्षी गौरव नगावत ने अपने कथन में बताया है कि अभियुक्त के आधिपत्य से प्र.पी–1 के माध्यम से 35–35 लीटर के केनों में रखे द्रव्य पदार्थ में से एक–एक लीटर पदार्थ को जांच के लिए सेम्पल बाबद निकाला गया और तत्पश्चात् सेम्पल को एवं शेष बचे दोनों केनों को जप्ती चिट के माध्यम से विधिवत सीलबंद किया था। पुलिस के दोनों साक्षियों ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है। अभियोजन पक्ष ने भी उक्त जप्ती चिट प्रकरण में प्रस्तुत की है, जिससे प्रथम दृष्ट्या यह प्रकट होता है कि साक्षी गौरव नगावत द्वारा केन एवं बोतलों को विधिवत सीलबंद किया गया होगा।

15. अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से यह तर्क किया गया है कि जब साक्षी गौरव नगावत के प्रतिपरीक्षण के समय प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल को मालखाने से आहुत किया गया था तो 35–35 लीटर की केन को आर्टीकल ए–1 एवं ए–2 से तथा एक–एक बोतल को आर्टीकल ए–3 एवं ए–4 से चिन्हित किया गया था। उक्त साक्षी के कथन पत्रक की कंडिका 4 के नीचे मुद्देमाल को मालखाने से बुलाकर प्रस्तुत किये जाने का नोट निम्नानुसार लगाया गया है :–

> "**नोट :–** प्रकरण क्रमांक 324/2021 में थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 44/2021 में जप्तशुदा मुद्देमाल को थाने के मालखाने से आहूत किया गया। उक्त प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल 2 नीले रंग की 35–35 लीटर क्षमता वाली केन तथा दो 1–1 लीटर की क्षमता वाली बोतल प्रस्तुत की गई। उक्त दोनों केनों पर ढक्कनों पर जप्ती चिट चस्पा होकर थाने की सील से

सीलबंद है। जप्ती चिट पर आरोपी तथा पंचानों एवं कार्यवाही करने वाले अधिकारी के नाम व हस्ताक्षर है तथा अपराध का विवरण लेख है। दोनों जांच सेम्पल की बोतलों पर आबकारी विभाग की कागज की जप्ती चिट चस्पा है। नीले रंग की दोनों केनों को आटिकल ए–1 एवं ए–2 से तथा जांच सेम्पल की बोतलों को ए–3 एवं ए–4 से चिन्हित किया गया गया।''

16. उपरोक्त नोट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त नोट के विवरण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि दोनों केन एवं बोतल में कोई द्रव्य पदार्थ मौजूद था और न ही इसका उल्लेख है कि दोनों केनों एवं बोतलों में कितनी मात्रा भरी हुई थी। पीठासीन अधिकारी की ऐसी कोई टीप नहीं है कि उन्होंने दोनों केनों एवं बोतलों को खोलकर देखा और उसमें किसी सीमा अथवा मात्रा तक द्रव्य पदार्थ होना पाया। इस प्रकार प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना ही प्रकट नहीं होता है।

17. अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि साक्षी गौरव नगावत एवं अन्य पुलिस साक्षी ने शासकीय वाहन से मौके पर जाना बताया है, परन्तु मौके पर पहुंचने एवं अभियुक्त के सम्बन्ध में द्रव्य पदार्थ की बरामदगी आदि की कार्यवाही करने के पूर्व पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा शासकीय वाहन की कोई जामा तलाशी नहीं करायी गई है और न ही इस सम्बन्ध में कोई पंचनामा तैयार किया गया। वस्तुतः जहां पुलिस द्वारा अभियुक्त से 70 लीटर हाथ भटटी की शराब जप्त किये जाने का आरोप लगाया गया है, वहां निष्पक्ष विवेचना के लिए यह आवश्यक है कि जो पुलिस कर्मी अभियुक्त को पकड़ने के लिए गये तो अभियुक्त को पकड़ने के पश्चात् सर्वप्रथम अपनी तलाशी देते कि वे अपने साथ कोई ऐसा सामान लेकर नहीं आये है जो अभियुक्त को फसाने में उपयोग किया गया हो और इसके लिए उक्त पुलिस बल जिस शासकीय वाहन से गये थे, उस शासकीय

वाहन की जामा तलाशी भी अभियुक्त को प्रदाय की जाना था, जो कि नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में भले ही साक्षी धर्मवीर सिंह, नवीन देथलिया एवं गौरव नगावत पुलिस साक्षी हो, परन्तु उनके कथनों पर संदेह से परे विश्वास नहीं किया जा सकता है और इसलिए उनके कथनों से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त के आधिपत्य से 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा में कोई अवैध शराब अथवा किसी भी मात्रा में कोई अवैध शराब जप्त किया गया था।

18. जहां तक अभियोजन पक्ष की ओर से बताये गये कथित द्रव्य के हाथ भट्टी की शराब होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में ए.एस.आय. राकेश बाबू शर्मा अ.सा.4 ने अपने कथनों में बताया है कि इस प्रकरण की विवेचना उसके द्वारा की गई थी और विवेचना के दौरान उसने प्र.पी–6 के पत्र के माध्यम से प्रकरण में तैयार किए गए दोनों बोतलों को आबकारी उप–निरीक्षक को जांच के लिए भेजा था। आबकारी उप–निरीक्षक राजकुमारी मण्डलोई अ.सा.7 ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 22/01/2021 को वह आबकारी उ.नि. वृत्त देवास 'स' में आबकारी उप–निरीक्षक के पद पर पदस्थ थी और उक्त दिनांक को थाना सिविल लाईन के अपराध क्रं. 44 /2021 अंतर्गत धारा 34(2) म.प्र.आबकारी अधिनियम में जप्तशुदा मदिरा में से सेम्पल की मदिरा 1–1 लीटर क्षमता वाली बोतलों में भरा द्रव्य कागज की पर्ची के हस्ताक्षर चिटों से सीलबंद अवस्था में जांच हेतु प्राप्त हुई थी और दोनों बोतलों पर लगी पर्ची को हटाकर उसके द्वारा बोतलों में भरे द्रव्य की जांच की गई तो जो निम्नानुसार पाई गई :–

1–द्रव्य को देखने पर दोनों जांच सेम्पलों में रंगहीन तरल द्रव्य था,

2–सूंघने पर दोनों जांच सेम्पलों में कच्ची हाथ भट्टी महुआ मदिरा की गंध आना पाया गया,

3–द्रव्य को चखने पर दोनों जांच सेम्पलों में से कच्ची

हाथ भट्टी महुआ मंदिरा का स्वाद आना पाया,

4–दोनों जांच सेम्पलों में नीला लिटमस पेपर डूबोने पर भरे द्रव्य का रंग हल्का गुलाबी होना पाया,

5–यांत्रिक जांच में दोनों जांच सेम्पलों में थर्मामीटर रीडिंग 80 डिग्री फेरेनहाईट पर हाईड्रोमीटर रीडिंग 86.8 होने से द्रव्य की तेजी 67. 40 यू.पी. होना पाई।

19. साक्षी राजकुमारी मण्डलोई ने अपने कथन में बताया है कि उपरोक्त जांच के आधार पर उसने दोनों बोतलों में रखे सेम्पल के द्रव्य को हाथ भट्टी की कच्ची शराब होना पाया था और इस सम्बन्ध में प्र.पी–12 की रिपोर्ट तैयार किया था और उसके पश्चात् दोनों बोतलों में लगी फटी पर्चियों को पृथक से बंद कर प्र.पी–13 के लिफाफे में पेक कर उसे वापस थाने में भेज गया। साक्षी राज कुमारी मण्डलोई के उपरोक्त कथनों में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है, जिसके आधार पर उसके कथनों पर अविश्वास किया जा सके। इसलिए राजकुमारी यादव के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि बोतलों में रखे गए द्रव्य को उसने कच्ची हाथ भट्टी की मदिरा होना पाई थी।

20. साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिस तरीके से पुलिस द्वारा जप्त किए गए तरल पदार्थ की कोई माप नहीं की गई और अभियुक्त को पुलिस साक्षियों की जामा तलाशी का कोई अवसर नहीं दिया गया और शासकीय वाहन की जामा तलाशी का भी कोई अवसर नहीं दिया गया, उसके आधार पर अभियोजन की कहानी पूर्णतः संदिग्ध हो जाती है और उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 34(2) म.प्र.आबकारी अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित मानकर एवं अभियुक्त को दोषी पाकर तथा दंडित करके निश्चित रूप से गम्भीर त्रुटि की है, जिसके कारण आलोच्य

दोषसिद्धि एवं दंडाज्ञा स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

21. परिणामस्वरूप यह दांडिक अपील स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित दोषसिद्धी एवं दंडाज्ञा अपास्त की जाती है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

22. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि विचारण न्यायालय में जमा की गई हो तो अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् अर्थदंड की राशि अपीलार्थी/अभियुक्त को वापस किया जावे और अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार उसका व्ययन किया जावे।

23. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 481 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत–मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रचलनशील रहेंगे। शेष जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

24. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति के निराकरण के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

25. निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(अजय प्रकाश मिश्र)
सत्र न्यायाधीश
देवास (म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया

AJAY PRAKASH MISHRA
Digitally signed by AJAY PRAKASH MISHRA
Date: 2026.05.23 14:48:14 +0530

(अजय प्रकाश मिश्र)
सत्र न्यायाधीश
देवास (म0प्र0)